



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

18 AASHADH 1947 (S)

No. 334

RANCHI WEDNESDAY 9th JULY, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

9th July, 2025

Notification No.- 25/2024 – State Tax

S.O. No. 24, Dated 9th July, 2025:- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 read with section 51 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No. 50/2018-State Tax, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 64, dated 26th September, 2018, namely:-

In the said notification,

(i) after clause (c) and before the first proviso, the following clause shall be inserted,-

“(d) any registered person receiving supplies of metal scrap falling under Chapters 72 to 81 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from other registered person”;

(ii) for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely-

“Provided also that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both, which takes place between one person to another person specified under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) of Section 51 of the said Act, except the person referred to in clause (d) of this notification.”

2. This notification shall be deemed to be effective from the 10th day of October, 2024.

[File. No. Va.Kar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar,
Commissioner,
Commercial taxes Department

Note:- The principal notification no. 50/2018- State Tax, was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 64, dated 26th September, 2018 and last amended *vide* notification no. 73/2018- State Tax, S.O. No. 15, dated 24th January, 2019.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०.25/2024- राज्य कर

एस. ओ. सं. 24, दिनांक 9 जुलाई, 2025 - झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 64, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 50/2018- राज्य कर, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) प्रविष्टि (ग) के पश्चात् और प्रथम परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी,-

“(घ) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो अन्य किसी पंजीकृत व्यक्ति से, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 72 से 81 के अन्तर्गत आने वाले, धातु स्क्रेप की आपूर्ति प्राप्त करता है”;

ii) तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, -

“परंतु कि इस अधिसूचना में कोई भी बात उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अंतर्गत, इस अधिसूचना के खंड (घ) को छोड़कर, निर्दिष्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।”

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार,
आयुक्त,
वाणिज्यकर विभाग।-

नोट:- मूल अधिसूचना संख्यांक 50/2018- राज्य कर, दिनांक 26 सितम्बर, 2018, झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 64, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन एस. ओ. सं. 15, दिनांक 24 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 73/2018- राज्य कर, दिनांक 24 जनवरी, 2019 से किया गया।
